# बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-१—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

शुक्रवार, तिथि १२ जुलाई, १९७४

## विषय-सूची


पृष्ठ.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम ४(II) के परन्तुक के अन्तर्गत प्रश्नोत्तरों को सभा मेज पर रखा जाना ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या—४१, ४२ एवं ९५ । .... १—८

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—२१६, ४०८, ६५७, ६५८, १०२१, १०२२, १०२३, १०२४, एवं १०२५ । .... ८—२३

परिशिष्ट—१ (प्रश्नों के लिखित उत्तर) : .... २४—६८

परिशिष्ट—२—षष्ठ बिहार विधान-सभा के अष्टम सत्र के ४३७ अनागत तारांकित प्रश्नों के उत्तर । .... ६९—५१४

परिशिष्ट—३ .... ५१५—५५१

दैनिक निबंध : .... ५५३—५५४

तथा जिला पदाधिकारी का समर्थन प्राप्त होने पर अन्तिम अधिसूचनायें निर्गत की जायँगी।

कारखाना को चालू करना।

क-३१। **श्री निर्मलेन्दु भट्टाचार्य**—क्या मंत्री, श्रम एवं नियोजन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि धनवाद जिले के निरसा प्रखण्ड में स्थित नवीन इन्डस्ट्रीज तथा बंगाल विहार पोटरीज कारखाना बन्द है; यदि हाँ, तो कब से और क्यों ?

**प्रभारी मन्त्री, श्रम एवं नियोजन विभाग**—नवीन इन्डस्ट्रीज में बिना किसी सूचना अथवा माँग-पत्र के दिनांक ३१ दिसम्बर, १९७३ से चल रही हड़ताल सहायक श्रमायुक्त, धनबाद द्वारा दिनांक २६ मार्च, १९७४ को किए गए समझौता वार्त्ता के अन्तर्गत हुए समझौते के फलस्वरूप समाप्त हो गयी है तथा श्रमिकों ने दिनांक २८ मार्च, १९७४ से कार्य शुरू कर दिया है।

जहाँ तक बंगाल विहार पोटरीज का प्रश्न है यह सही नहीं कि कारखाना बन्द है। इस कारखाने की श्रम स्थिति गत तीन माह से अशान्त एवं तनावपूर्ण है। प्रवन्धक के कुछ पदाधिकारियों को श्रमिकों ने ३० मार्च, १९७४ को कारखाने के बाहर रोक कर पीटा। फलतः दिनांक १ अप्रील, १९७४ से प्रवन्धक ने तालाबन्दी की घोषणा की, किन्तु श्रमिक अभी भी कारखाने में काम कर रहे हैं। चूँकि इस कारखाने में चहारदीवारी नहीं है अतः प्रवन्धन द्वारा प्रभावशाली ढंग से तालाबन्दी को लागू करना सम्भव नहीं है। स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है तथा प्रयास किया जा रहा है कि कारखाने में सामान्य स्थिति कायम की जा सके।

———

मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी।

क-३२। **श्री निर्मलेन्दु भट्टाचार्य**—क्या मंत्री, श्रम एवं नियोजन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि ३ अगस्त, १९७३ ई० के त्रिपाक्षिक समझौता के अनुसार धनवाद जिले के फायर-ब्रिक्स उद्योग के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी ४ रु० २५ पैसा तय हुई थी;

(२) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के निरसा प्रखण्ड के सभी फायर-ब्रिक्स मजदूरों को समझौता के मुताबिक न्यूनतम मजदूरी क्यों नहीं दी जाती है तथा सरकार इस दिशा में शीघ्र क्या कदम उठाना चाहती है ?

**प्रभारी मंत्री, श्रम एवं नियोजन विभाग**—(१) क्या यह बात सही है कि दिनांक ४ अगस्त, १९७३ को मेरे समक्ष बिहार राज्य में अवस्थित रिफ्रैक्टरीज एवं सिरामिक उद्योग में नियोजित श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नियोजकों तथा संबंधित मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के बीच ४.२५ रुपये हुई थी।

(२) जहाँ तक धनबाद जिले में अवस्थित फायर-ब्रिक्स उद्योग में नियोजित श्रमिकों को उक्त न्यूनतम मजदूरी दी जाने का प्रश्न है, जिले के इस उद्योग के कारखानों में २२ कारखानों में पूर्णरूपेण लागू कर दिया है। ८ कारखानों में आंशिक रूप से लागू किया गया है क्योंकि इन कारखानों में कतिपय विन्दुओं पर आपसी वार्ता चल रही है। शेष १३ कारखाने बहुत छोटे हैं तथा इनमें अधिकांश नये हैं और कुछ कारखानों में अभीतक उत्पादन कार्य भी प्रारम्भ नहीं हुआ है। इन कारखानों में कोई श्रमिक संघ भी नहीं है। फलतः हर सम्भव प्रयास के बावजूद न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं करायी जा सकती है। फिर भी प्रयास जारी है।

---

हार्ड कोक भट्ठा के सम्बन्ध में।

ऐ-३५। **श्री निर्मलेन्दु भट्टाचार्य**—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) धनबाद जिला में कितने हार्ड कोक भट्ठा खुले हैं तथा उनमें से कितने लघु उद्योग बिहार सरकार द्वारा निबन्धित हैं;

(२) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिले में कुछ अनिबन्धित हार्ड कोक भट्ठा है, यदि हां तो अनिबन्धित हार्ड कोक भट्टा कम्पनियों तथा उनके मालिक के नाम व पता क्या है तथा इन्हें कोयला कैसे मिलता है ?

**प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग**—(१) धनबाद जिले में लघु उद्योग के अन्तर्गत जो हार्ड कोक बनाने के भट्टे खुले हैं उनमें से कुछ अनिबन्धित हैं कुछ अस्थायी रूप से निबन्धित हैं तथा कुछ स्थायी रूप से निबन्धित हैं। स्थायी निबन्धित इकाइयों की कुल संख्या १८ (अठारह) है तथा अस्थायी निबन्धित इकायों की संख्या ४० है।